

JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD

स्मरखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 729601060722053750

Date : 06-07-2022

प्रभावी : प्रथम तिमाही 2022-2023

श्री/श्रीमती/सुश्री MAHESH KUMAR S/O MADAN LAL,
मौजिल्ला ADDI BANGLA NEAR PANI TANKI ROAD JHUMRI TELAIYA
KODERMA, 825409
0289832608

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0140000725000M0 वार्ड सं. 14 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है।
उसके अनुसार पति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	28.00
2.	जल कर	0.00
3.	शींचालय कर	0.00
4.	विजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		28.00



Mahesh Kumar

To be signed by the Applicant

नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची, JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD Website, sarda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कडिका 11.4 के अन्तर्गत में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
छिटाया दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निम्न को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
4. यदि विगत वर्ष के लिए सम्पूर्ण धुति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो कारदादा को 5% की रियायत दी जाएगी।
5. वित्तीय देय धुति को निर्दिष्ट समयवधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से सहायता ब्याज देय होगा।
6. गृह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं बी गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-स्व-घोषणा पत्र की सहाय्यता प्राप्त तथा समय निम्न कर सकती है एवं समय माला पाए जाने पर नियमावली कडिका 13.2 के अनुसार निर्धारित शक्ति (Fines) एवं अंतर राशि देय होगा।
7. JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD द्वारा संयोजित इस सम्पत्ति कर इन इमारतों/घांटों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मानिकों/टाटाकर को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये होल्डिंग नं० की आदिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 729603060722054023

Date : 06-07-2022

प्रमाणी : प्रथम तिमाही 2022-2023

श्री/श्रीमती/सुश्री MAHESH KUMAR S/O MADAN LAL,
मोहल्ला ADDI BANGLA NEAR PANI TANKI ROAD JHUMRI TELAIYA
KODERMA , 825409
6289832508

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0140000726000M0 वार्ड सं. 14 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	28.00
2.	जल कर	0.00
3.	शाँचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		28.00



मोटा:-

Mahesh Kumar

To be signed by the Applicant

1. कर निर्धारण की सूची, JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD Website, www.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कंडीका 11.4 के आलेख में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान वैसासिका देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण धृति भार का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रिबायत दी जाएगी।
5. किसी देय धृति को निर्दिष्ट समयपूर्व (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकवाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच तथा शक्य निगम करत सम्पत्ति के एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शक्ति (Power) एवं अंतर राशि देय होगा।
7. JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमारती/घाँचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मासिक/ टाउनस्वर को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये होस्टिंग नंओ का आखिरी अंक 5/0/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

Sch XIV-F.No. 180v

रसीद-मालगुजारी

नाम सर्कल | नाम मौजा मय

धाना वो धाना नम्बर

V

फरद मलकी / फरद रैयती Page No. : 6
 नाम रैयत मय वलिदयत जमाबन्दी Vol. No. : 65
 वो सकुनत नम्बर। Receipt No. : 0052778396

कोडरमा सदर तिलैया 244 Mahesh Kumar		
खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
266	7031	0 एकड़ 2.75 डिसमील 0 हेक्टर

अराजी नकदी	अराजी भावली	तफसील हिसाब लगान भावली
------------	-------------	------------------------

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बावत	सालाना	बकाया				हाल (2021-2022)
		तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष	१ ला वर्ष	
माल (नकदी)	10.00					10.00
गुजारी (भावली)	2.50					2.50
सेस	5.00					5.00
सूद	5.00					5.00
मुतफरकान	2.00					2.00
मीजान	24.50					24.50

तफसील अदायकारी

अदायकारी बावत	बकाया				मौतालवा हाल (2021-2022)	फजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष	१ ला वर्ष		
माल (नकदी)					10.00	
गुजारी (भावली)					2.50	
सेस					5.00	
सूद					5.00	
मुतफरकान					2.00	
मीजान अदायकारी					24.50	

(१) मीजान कुल (रुपयों में) : Twenty Four Rupees and Fifty Paise

(२) नाम देहिन्दा -

(३) कुल बकाया- 24.50

तारीख अमला तहसील कुनिन्दा : 28-02-2022

खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।



यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति है।

यह प्रपत्र केवल धार्थी की जानकारी के लिए है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अधिकारी से संपर्क करें।

दो गज की दूरी का रखो ध्यान यही है कोरोना का समाधान।

Mahesh Kumar